

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 187/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उन्वान

1 रामदेव पिता लादुलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा —( प्रार्थी)

बनाम

- 1 मु.शान्ति देवी पत्नि सुरेश खटीक उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 मु.चन्ता पत्नि गोपाल कुमावत (सलावट) उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 मोडू पिता गोपीदास बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 अर्जुन पिता गोपीदास बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 मांगु पिता रामा बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 रामा पिता उगमपुरी गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 7 गोवर्धन पिता उदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 8 हरि पिता हमीरा बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 9 भेरूलाल पिता मदन शर्मा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 10 मु.सम्पति पत्नी सत्यनारायण बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 11 मु. चन्ता पुत्री लादु रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 12 मु.नोरत पिता लादु रेगर उम्र-वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 13 रामस्वरूप पिता धन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 14 मु.पुष्पा पुत्री धन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 15 माधु पिता भैरु बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 16 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकला जिला भीलवाड़ा

—( अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री सुनील कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगद्दी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 05.04.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 27.12.2022 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतोनी संख्या 714 के आ.न. 105, 106, 111/4161, 367, 369, 370, 371, 377, 378, 399, 436, 437, 483, 484, 5335/379, 5336/379 किता 16 रकबा 2.64 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगद्दी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत वदस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतोनी संख्या 714 के आ.न. 105, 106, 111/4161, 367, 369, 370, 371, 377, 378, 399, 436, 437, 483, 484, 5335/379, 5336/379 किता 16 रकबा 2.64 हैक्टर, भूमि की पत्थरगद्दी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगद्दी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगद्दी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगद्दी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगद्दी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगद्दी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलियाकला जिला भीलवाड़ा